FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का कल्याणपुरा (थोई)

किस्म मुकदमा – प्रस्ताव प्रचलित रास्ता धारा 131 132 एल आर एक्ट — मुकदमा नम्बर 130/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर
29.09.2025	राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर मे दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबधित संपादित किये जाने वाले कुल 10 गतिविधियों/कार्यों में से क्रमांक 6 पर "रास्तों के प्रकरणो का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 04(3) राज–5/सम/2024 जयपुर दिनांक 18.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे है) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पचांयतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2412/भू.अ./2025 दिनांक 08.08.2025 एंव पुनः पत्रांक 2591/भू.अ./2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम कल्याणपुरा (थोई) पटवार हल्का कल्याणपुरा (थोई) के कृषि भूमि खसरा नम्बर 553/1026 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम मे से रकबा 0.0120 हैक्टर व रकबा 0.01 हैक्टर भूमि में से जा रहे प्रचलित रास्ता कल्याणपुरा (थोई) से सिहोडी रास्ते से बंशीधर का मकान व कल्याणपुरा गीदावाला से विजय सिंह के मकान तक जाता है तथा मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ हे एंव खाते[illegible] में लाया जा रहा है। उक्त रास्ते हेतु सभी [illegible] होने एंव प्रस्तावित रास्ता व्यक्तिगत होना तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट में अवगत कराया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (थोई) [illegible] अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता व्यक्तिगत होने एंव मूल प्रस्ताव में सम्बन्धित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (थोई) का प्रस्ताव संलग्न नहीं होने से

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पत्रावली...

ग्रा०पं० प्रचलित रास्ता

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी रिपोर्ट में किया है। हमने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व इसके संलग्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ता सार्वजनिक हित में नहीं होकर व्यक्तिगत हित में होना तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा (थोई) का प्रस्ताव संलग्न नहीं होने से भी उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक हित मे होना प्रकट नही होता है। प्रचलित रास्ता का प्राप्त प्रस्ताव व्यक्तिगत हित में होने तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किये जाने योग्य नही पाये जाने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एव 132 के तहत भिजवाये गये प्रचलित रास्ता का प्रस्ताव सार्वजनिक उपयोग में नही आने तथा व्यक्तिगत हित में होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद फैसल में शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 13:01:52 IST
Reason: SelfAttested

यह ... आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया ... गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)